न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला भिण्ड

1. जयनारायण पुत्र रामदीन,
2. सुनील कुमार पुत्र रामदुलारे,
   निवासीगण ग्राम कुठोंदा, तहसील मेहगांव, जिला **भिण्ड** (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

अनिल जैन पुत्र **स्व0** खेमचन्द्र जैन, निवासी– परेड **चौराहे** के पास, सदर बाजार, वार्ड नं.34, जिला भिण्ड(म.प्र.)

—— अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2014–15/ अपील माल में पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक क्रमांक 1 जयनारायण पुत्र रामदीन, **निवासी** ग्राम कुठोंदा, तहसील मेहगांव द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार **वृत्त**, मेहगांव के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 168(2), 190, 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, **जिसके** अनुसार ग्राम कुठोंदा, तहसील मेहगांव में स्थित भूमि आराजी **क्रमांक 414** रकवा 0.55 है0, पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने की मांग **की गयी** थी।
2. यहकि, आवेदकगण की ओर प्रस्तुत आवेदन पत्र **को तहसीलदार** वृत्त मेहगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 101/2002–01/बी–121 **पर** पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रकरण में इश्तहार का **विधिवत प्रकाशन** कराया गया एवं कथन लिये जाकर आदेश दिनांक 22.12.2001 **से** आवेदक का कब्जा विगत 15 साल से दर्ज होने से तहसील **न्यायालय के** द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2001 **से** स्पष्ट होने से **आवेदक** को मौरूसी कास्तकार के स्वत्व अर्जित होना, स्पष्ट होने से **भूमिस्वामी** स्वत्व के संबंध में आदेश पारित किया गया।
3. यहकि, तहसीलदार वृत्त मेहगांव के आदेश के **विरूद्ध अना**वेदक अनिल

XXIX(a)-BR(H)-11

(421)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/1978

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	